INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN 52/23

Certificate No.	:	IN-UP59227325856904V
Certificate Issued Date	:	14-Jul-2023 10:30 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14235604/ CHANDPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14235604135329142855 59V
Purchased by	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

E-Stamp Verified
Registration Assistant
Chandpur Bijnor

E-Stamp Locked
Sub Registrar
Chandpur Bijnor

Please write or type below this line

नीरज कुमारी

PU 0007164904

Digitally signed by Neeraj Kumari
Date: 2025.06.27 20:35:14 +05:30
Reason: reason
Location: location

IV

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV-52
23

Certificate No.	:	IN-UP59277273785893V
Certificate Issued Date	:	14-Jul-2023 11:02 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14235604/ CHANDPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14235604136321651900 29V
Purchased by	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SHYAMKALI DEVI MEMORIAL TRUST TH BY NEERAJ KUMARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	900 (Nine Hundred only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

नीरज कुमारी

PU 0007164905

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

E-Stamp No. 1– IN-UP59227325856904V, 2- IN-UP59277273785893V

Token-10877

Sompal Singh Arya
Advocate
R. No. 7111/07 C.O.P. No. 044551
Tahsil Chandpur (Bijnor)
Mobile No. 9412669334

(न्यास–पत्र/ट्रस्ट डीड)

श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट

पूंजी :– 1,00,000/-
स्टाम्प :– 1,650/-
किता – 16

यह ट्रस्ट डीड दिनांक **14-07-2023** को तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर में लिखी गयी।

श्री नीरज कुमारी पत्नी विजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम गावं **सैदपुर माफी** पोस्ट नंगली पथवारी त0 चांदपुर जनपद बिजनौर (जिनको आगे से ट्रस्ट का सेटलर कहा जायेगा।)

श्री नीरज कुमारी पत्नी विजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम गावं **सैदपुर माफी** पोस्ट नंगली पथवारी त0 चांदपुर जनपद बिजनौर (नोट– सेटलर का नाम ही आयेगा) ने रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) से ट्रस्ट शुरू किया है। इन रूपयों को सेटलर ने अपनी इच्छा से सामाजिक सेवा विकास के कार्य करने के लिये ट्रस्ट को देने का निश्चय किया है तथा वर्तमान में ट्रस्ट के पास **1,00,000/-** रू0 से अधिक की चल–अचल सम्पत्ति नही है।

जो कि सेटलर अपने धन से एक ट्रस्ट कायम करना चाहता है ताकि सेटलर की मंशा के मुताबिक उसके धन से ट्रस्ट के मकसद पूरे किये जा सके। लिहाजा दस्तावेज हाजा के द्वारा सेटलर ट्रस्ट का निर्माण करता है उक्त धन को किसी सामाजिक, शैक्षिक एवं विकास कार्यो में खर्च करने के समस्त अधिकार फाउंडर ट्रस्टी को दिये जाते है जिनका लिया जाना फाउंडर ट्रस्टी ने स्वीकार कर लिया है। यह धनराशि ट्रस्टियों में निहित हो गयी है तथा आज से ट्रस्ट के इस्तेमाल में लायी जायेगी।

नीरज कुमारी

E-Stamp No. 1– IN-UP59227325856904V

फाउन्डर ट्रस्टी जिन्हें ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी कहा जायेगा।

1	श्रीमती नीरज कुमारी पत्नी बिजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादॅपुर जनपद बिजनौर M- 9720910814, Adhar- XXXX-6763, PAN – FWPPK9477P	प्रबन्धक/अध्यक्ष
2	बिजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री पतराम सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादॅपुर जनपद बिजनौर M- 9758690590, Adhar- XXXX-1680, PAN – BVWPP4483J	सचिव
3	श्री जुगेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र पतराम सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादॅपुर जनपद बिजनौर M- 9415342899, Adhar- XXXX-4520, PAN – AFTPS9156B	उपाध्यक्ष

1	ट्रस्ट का नाम	:	**श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट**
2	ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय	:	ग्राम सैदपुर माफी परगना बूढ़पुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। खसरा नम्बर 126 में बने भवन में।
3	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर
4	ट्रस्ट की सम्पत्ति	:	रू 1,00,000 (एक लाख रू मात्र) जो कि कम या अधिक हो सकती है।
5	ट्रस्ट के उद्देश्य	:	ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे –

5(A) शिक्षा –

5(A) i. समाज में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्यक्षेत्र में स्कूल, कालिज, डिग्री कालिज संचालन करके बालक–बालिकाओं को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना और उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावासों का निर्माण, प्रबन्धन एवं संचालन करना।

5(A) ii बालक–बालिकाओं को उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना व संचालन करना तथा सभी संकायों में प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रों की स्थापना व कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि की स्थापना व संचालन करना।

5(A) iii समाज के निर्धन/अनाथ/विकलांग व उपेक्षित बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और इनके विकास के लिए आवश्यक कल्याण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

5(A) iv समाज के बौद्धिक विकास एवं ज्ञानवर्धन हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।

5(A) v समाज के बालक एवं बालिकाओं को हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी, अरबी, फारसी व अन्य देशी विदेशी भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना।

5(A) vi अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निर्धन/विकलांग/किन्नरों व अन्य पात्र बालक–बालिकाओं को समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग से छात्रवृत्ति व अन्य सम्बन्धित विभागों की राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना व उनका लाभ दिलाना।

5(A) vii समय की आवश्यकतानुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक इकाइयों को अपग्रेड करना।

नीरज कुमारी

5(A) viii बालक–बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योगा व आध्यात्मिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना तथा व्यायामशाला की स्थापना एवं संचालन करना।

5(A) ix संस्था आई०टी०आई०, बी०एड० कॉलेज, बी०पी०एड० कॉलेज, बी०टी०सी० कॉलेज, विधि कॉलेज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं सक्षम संस्थानों से सक्षम संबंधता लेने के पश्चात स्थापना कर संचालन करेगी।

5(A) x अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम बालक–बालिकाओं को दीनी तालीम के साथ–साथ दुनियावी तालीम के लिए अरबी, फारसी, मदरसा के हिसाब के मुताबिक अरबी फारसी तहतानिया, फौकानिया, आलिया, उच्च आलिया व अरबी–फारसी शिक्षा बोर्ड की मुन्शी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल आदि कोर्सेस की शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थापना करना व संचालन करना व मदरसों में आधुनिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का इंतजाम करना व सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों से मिलने वाली सहायता/अनुदान दिलाने का प्रयास करना।

5(A) xi कार्यक्षेत्र में सी०बी०एस०सी० बोर्ड, आई०सी०एस०सी० बोर्ड , राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ओपन स्कूल एवं अंग्रेजी माध्यम के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।

5(B) प्रशिक्षण :–

5(B) i. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

5(B) ii ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण (हथकरघा, चर्म उद्योग, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, अंगोरा खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कृषि सहायक औद्योगिक प्रशिक्षण, कागज उद्योग, प्रिन्टिंग प्रेस, बुक बाइन्डिंग, कांच उद्योग, रबर सामग्री उत्पादन, रसायनिक उत्पादन, खेलकूद सामग्री उत्पादन, खाद्य एवं फल संरक्षण, टेलरिंग, हैण्डलूम/पावर लूम, इलेक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल, सिलाई, कढाई, बुनाई, मेंहदी, कुकिंग, पेन्टिंग, सॉफ्ट टर्योयज, ब्यूटीशियिन, डांसिंग, म्यूजिक, मोबाइल रिपेयरिंग, इलैक्ट्रोनिक उपकरण रिपेयरिंग, इलैक्ट्रिशियन, मैकेनिकल इलैक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ए०सी०, फ्रिज रिपेयरिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्राफिक्स डिजाईनिंग, इन्टीरियर डिजाईनिंग, वैब डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, एकाउन्ट टैली, मार्केटिंग मैनेजमेंट कम्प्यूटर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री रोजगार प्रशिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता केन्द्रों/शिविरों/क्लबों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना तथा रोजगार दिलाने में सहयोग प्रदान करना।)

5(B) iii सरकारी/गैर सरकारी परियोजनाओं के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कराना एवं खादी के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

5(B) iv प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदर्शनी एवं रोजगारोन्मुखी मेला का आयोजन करना। तकनीकी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं रोजगारोन्मुखी परामर्श देना।

5(B) v उद्योगो के विकास हेतु औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श सेवायें, शोध, सर्वेक्षण, औद्योगिक प्रबन्ध एवं निर्यात आदि से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन व प्रचार–प्रसार करना।

5(B) vi हस्तशिल्पियों/कारीगरो/बुनकरो हेतु समूह गठन, क्रेडिट कार्य योजनाएं, बीमा योजनाएं, तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम तथा आवास निर्माण कार्यक्रमों के संचालन से सहभागिता करना

5(C) स्वास्थ्य :– पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग व मेडिकल कालेज की स्थापना :–

नीरज कुमारी

5(C) i. समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च आधुनिक स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा डिसपेन्सरी से लेकर आधुनिकतम उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अस्पतालों/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन व धर्मार्थ चिकित्सालय के माध्यम से जनसामान्य को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।

5(C) ii दूर दराज व पिछड़े इलाको के वाशिंदो व वंचितो को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध कराना एवं सचल डिसपेंसरी की स्थापना व संचालन करके लोगो की निःशुल्क सेवा करना व अन्य जनस्वास्थ्य व चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

5(C) iii समाज में व्याप्त लाइलाज व गम्भीर बीमारियों से एड्स, पीलिया, कुष्ठ रोग, कैंसर, हृदय रोग, डायबीटीज, हेपेटाइटिस, टी0बी0 मानसिक रोगो से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना और समाज के लोगों में प्रचार–प्रसार अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों के जरिये उनके प्रति उदारता के लिए प्रेरित करना।

5(C) iv अभियान चलाकर टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पोषाहार, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु प्रचार प्रसार करना और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करना व उनका लाभ दिलाना।

5(C) v निःशुल्क आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर व अन्य देशी विदेशी पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना व उनका संचालन करना व कैम्प आयोजित करना। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार करना।

5(C) vi समाज के सभी वर्गों के लिये फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल कालेजों की स्थापना करना।

5(D) जल संसाधन/प्रबन्धन :–

5(D) i. पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन एवं अन्य पेयजल स्रोतो का विकास करना तथा ग्रामीण व शहरी स्वच्छता के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित कार्य करना।

5(D) ii जल संचय, संरक्षण, चैकडेम, सबमर्सिबल पम्प के क्षेत्र में कोई कार्य करना, ओवर हैड टैंक, मिनी पाईप–वाटर सप्लाई स्थापित करना। जल प्रबन्धन हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कार्य करना।

5(D) iii पानी के स्रोतो को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज वैल (भूमि के अन्दर पानी की वापसी) हेतु कार्य करना।

5(D) iv तालाबों का सौन्दर्यीकरण, खुदाई तथा प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सहभागिता सम्बन्धी क्रियाकलाप करना एवं प्रशिक्षण कराना।

5(E) पर्यावरण :–

5(E) i. सामाजिक स्वच्छता हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा कर व्यक्तिगत शौचालयों, कचरा, गड्ढा, सोख्ता गड्ढा, नाली खड़ंजा, सडक निर्माण, इन्दिरा आवास निर्माण आदि करना।

5(E) ii अनुपयोगी जल का समुचित प्रयोग एवं प्राकृतिक धरोहर को संतुलित बनाये रखने के लिए व पशु, पक्षी पालना, सघन वृक्षारोपण की स्थापना तथा वन, जल एवं भूमि को नष्ट होने से बचाने हेतु कार्य करना।

5(E) iii सेमीनार कार्यशाला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण रक्षा की जानकारी से अवगत कराना।

5(E) iv बायोगैस, बायोमास, चारकोल भट्टी एवं धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग हेतु कार्य करना।

5(E) v पर्यावरण प्रबन्धन, नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करना।

नीरज कुमारी

5(E) vi उद्यानों गृहवाटिका, पार्कों की स्थापना तथा रखरखाव एवं उनके विकास में सहयोग देना। वनों की रक्षा के लिए कार्य करना।

5(E) vii सघन वृक्षारोपण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन करते हुए जनजागृति अभियान चलाना।

5(E) viii पर्यावरण प्रदूषण तत्वों/यन्त्रों संयंत्रों की स्थापना देशी तकनीक पर आधारित साधनों/यन्त्र संयंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना व एतद् सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

5(F) सामाजिक विकास :–

5(F) i. वेश्यावृत्ति, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, भ्रूण हत्या उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, किन्नर समाज के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना व महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा व अत्याचार, अनचार को रोकने हेतु प्रयास करना तथा जाति व धार्मिक सद्भाव स्थापित करने व जनजागृति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, कैम्प व रैली आदि का आयोजन करना।

5(F) ii बाल श्रमिकों को मुक्त कराना, विधवा विवाह, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, अर्न्तजातीय विवाह, धर्म समानता का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं विवाह योग्य निराश्रित निर्धन युवक–युवतियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

5(F) iii सामाजिक समानता एवं सामाजिक समरसता स्थापित करना।

5(F) iv परम्परागत एवं त्यौहारों पर राष्ट्रीय/त्यौहारों, पर्वो पर सामाजिक सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

5(F) v वर्गवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अस्पृश्यता तथा मानव अंगों के व्यापार, बंधुवा प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु जन जागरण अभियान व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में कार्य करना।

5(F) vi सामाजिक संगठनों, क्लबों, समूहों की स्थापना करना, एवं भवन बनाना।

5(F) vii समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबार्ड, कपार्ड आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर कार्य करना।

5(F) viii निराश्रित महिलाओं को आश्रय दिलाने हेतु प्रयास करना।

5(F) ix बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाना व ससम्मान जीविका उपार्जन के साधन खोजकर सहायता करना।

5(F) x नशाबन्दी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु प्रचार कार्य करना।

5(F) xi बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से उधोगो को बढ़ावा देना है एवं बेरोजगार युवक–युवतियों को ट्रस्ट के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।

5(F) xii वृद्धावस्था आश्रम, नारी आश्रम, अनाथ आश्रम खोलना।

5(F) xiii राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

5(F) xix पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता करना एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना।

5(F) xx सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

5(F) xxi आतंकवाद, नक्सलवाद, आपराधिक कृत्य, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार बाल अपराध के उन्मूलन हेतु जन आन्दोलन चलाना।

5(F) xxii दैवीय आपदाओं बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, सुनामी दुर्घटना, युद्ध आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

5(F) xxiii असहाय लोगों की निःशुल्क कानूनी सहायता करना। कैदियों को जेल के अन्दर सामाजिक एवं शैक्षिक योजनाओं से लाभान्वित करना।

नीरज कुमारी

5(G) मानव संसाधन विकास :–

5(G) i. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रदर्शनी आयोजित करना।

5(G) ii मिलन केन्द्र, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा, सामुदायिक शौचालय अन्य प्रकार के बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण करना।

5(G) iii मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग्स, स्मैक जेसी आदतों को सुधारने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अभियान चलाना एवं इससे प्रभावित रोगियों हेतु अस्पताल खोलना।

5(G) iv युवा शक्ति विकास के लिए व्यायामशाला, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5(G) v नेहरू युवा केन्द्र एवं अन्य ग्रामीण संस्थाओं (युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सहेली समूह) के माध्यम से ग्रामीण लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना।

5(G) vi राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को अक्षुण रखने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

5(G) vii गैर परम्परागत ऊर्जा (वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत) के क्षेत्र में कार्य करना।

5(G) viii मानव कल्याण, जीव संरक्षण परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण आदि कार्य करना।

5(G) ix जैव विविधता, संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्य करना।

5(H) विविध कार्यक्रम :–

5(H) i. सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में निर्बल एवं असहाय वर्गो को जागरूक करना।

5(H) ii आवश्यकतानुसार धरने प्रदर्शन करके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के निवारण हेतु सहयोग करना।

5(H) iii शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य करना, एवं निर्बल एवं असहाय वर्गो के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार एवं भेदभाव की नीति के विरूद्ध धरने प्रदर्शन करना।

5(H) iv अधिकारियों द्वारा निर्बल एवं असहाय वर्गो व्यक्तियों के विरूद्ध पनप रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करना एवं आवश्यकता पड़ने पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन कर शासन को अवगत कराना एवं भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय करना।

5(H) v समय–समय पर सेमीनार, गोष्ठी एवं कार्यशाला के माध्यम से समाज के नागरिको को कर्तव्यों की जानकारी देनां राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा देना।

5(H) vi मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संसाधन एवं व्यय आयोग, लोक सेवा आयोग आदि द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग उपलब्ध कराना।

5(H) vii अन्य प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों, ट्रस्टों के साथ मिलकर कार्य करना तथा ऐसी संस्थाओं, संगठनों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर आदान–प्रदान सहायता करना।

5(H) viii स्वयं सहायता समूह, महिला सहायता समूह, स्वरोजगार सहायता समूह, बेरोजगार युवा शक्ति फण्ड आदि योजनायें संचालित कर समाज के बेरोजगार युवा उद्यमियों एवं जरूरतमंद लोगो को ऋण उपलब्ध कराना।

5(H) ix स्वयं सहायता समूह, महिला सहायता समूह, स्वरोजगार सहायता समूह, बेरोजगार युवा शक्ति फण्ड आदि योजनाओं के तहत आवाम को ऋण उपलब्ध कराना एवं उक्त योजना के सफल संचालन के लिए समाज के व्यक्तियों से पैसा इकटठा करना। उक्त पैसे की पावती रसीदें देना एवं पैसा जमा करने वाले व्यक्तियों को उसके एवज में हदिये के तौर एक रकम उपलब्ध कराना।

नीरज कुमारी

5(I) कृषि वन एवं पशुपालन :–

1. नई कृषि नीति के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि कर ग्रामीण, सांसाधन संरक्षण जैसे– भूमि श्रमिक, पशुधन, वनस्पति, वानिकी, मत्स्य पालन, फलोत्पादन, डेयरी फार्म, मशरूम उत्पादन, सेरी–कल्चर, औद्यानिक कृषि, औषधीय कृषि इत्यादि का विकास करना।
2. ऊसर भूमि परती भूमि, बीहड़ भूमि का सुधार हेतु परियोजनाओं/कार्यक्रमों का नियमानुसार संचालन करना।
3. मृदा एवं जल संरक्षण, भूगर्भ जल संरक्षण, नदियो एवं जलाशयो की स्वच्छता हेतु विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, रसोई वानिकी का विकास करना।
5. कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट, नेडफ खाद का अधिकाधिक उत्पादन व प्रयोग कर उपज वृद्धि कराना एवं कृषि विकास पदार्थो का सदुपयोग के लिए प्रचार प्रसार करना।
6. कृषि संयन्त्रों का निर्माण एवं सुधार करना।
7. बहुफसली कृषि, शुष्क कृषि, बहुउद्देशीय फसलों एवं नगदी फसलों के उत्पादन तथा कृषि विविधीकरण पर कार्य करना।
8. चारागाह, फलदार वृक्ष एवं पौधशालाएं लगाना एवं पशुपालन विकास हेतु निःशुल्क पशु चिकित्सालय खोलना।
9. लघु किसान एवं सीमान्त किसानों के लिए चल चिकित्सा स्वास्थ्य पशु शेल्टर–हाऊस/पशु चिकित्सालय की स्थापना करना व लावारिस पशुओं की देखरेख व चारे की व्यवस्था करना।
10. दुर्लभ/विलुप्त हो रहे पशु पक्षी संरक्षण तथा पशु एवं पक्षियों के प्रति क्रूरता निवारण हेतु जनसामान्य को प्रेरित करना/जागरूक करना/पक्षी विहार, जल विहार, वन विहार आदि की स्थापनार्थ कार्य करना।
11. जड़ी बूटियां का संगृहण, विकास व उत्पादन से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करना।
12. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं कृषि मंत्रालय, वन विभाग, उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं संचालन में सहयोग करना।

5(J) आर्थिक विकास :–

1. सिडबी, नाबार्ड, कपार्ड, आबार्ड, यू0एन0डी0पी0 आई0डी0बी0आई0, सेफ इण्डिया, सिफसा, यूनीफेम, केयर, नौराड, स्टेप, स्वाधार अक्सफेम इण्डिया, हैल्प ऐज इण्डिया विश्व बैंक, सूडा, डूडा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं अन्य वित्त पोषित अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करना।
2. सूक्ष्म साख कार्यक्रम (माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम) के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
3. बैंकिंग एवं कम्पनी अफेयर तथा वित्त प्रबन्धन के लिए जनसामान्य को जागरूक करना।
4. खनिज पदार्थो तथा प्रकृति (पेट्रोलियम पदार्थ तथा नैचुरल गैस) के दोहन एवं सदुपयोग के लिए कार्य करना।

<u>राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय मंत्रालयों जैसे–</u> महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, आणविक ऊर्जा विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कोयला खनन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विभिन्न कामर्शियल बैंक, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,

नीरज कुमारी

अन्तरिक्ष मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, जल परिवहन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, हस्तशिल्प मंत्रालय, हथकरघा मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता मंत्रालय, आदि के द्वारा संचालित योजनाओं में सहभागिता करना, उनका संचालन करना व उन्हें बढ़ावा देना।

राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय निगमों जैसे :– अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय महिला कोष, जल निगम, निर्यात निगम, भूमि सुधार निगम, मत्स्य विपिस निगम, महिला कल्याण निगम, राजकीय निर्माण निगम, औद्योगिक विकास निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, चमड़ा विकास निगम, चीनी निगम, पर्यटन विकास निगम, वन निगम, सड़क परिवहन निगम, हथकरघा निगम, लघु उद्योग निगम, वक्फ विकास निगम, जल विद्युत विकास निगम, वित्त निगम, सेतु निगम, बीज विकास निगम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, राज्य भण्डारण निगम, गन्ना बीज निगम, यूपिको, यू0पी0 डेस्को, पिकप, पी0सी0एफ0, नैफेड, सी0एफ0टी0आर0आई0 होफेड आदि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सहभागिता एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

5(K) नैचुरोपैथी एवं योगा साईंस :–

1. प्राकृतिक चिकित्सालयों की स्थापना प्राकृतिक चिकित्सा सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करना एवं समय–समय पर निदान केन्द्र स्वास्थ्य शिविर कैम्प आदि का प्रबन्ध आयोजन करना।
2. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा का प्रचार प्रसार एवं अनुसंधान करना तथा समाज को इसके प्रति जागृत करना।
3. प्राकृतिक एवं योगा चिकित्सा की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर शिक्षण–प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करना।
4. नैचुरोपैथी संस्थान की स्थापना व संचालन करना एवं समाज को प्रोत्साहित करना।

5(L) कानूनी सहायता :–

1. किसी भी समस्या से पीड़ित स्त्री की कानूनी सहायता करना।
2. निर्धन समाज से जुड़े स्त्री/पुरूष की कानूनी सहायता करना।
3. अन्य कानूनी सहायता करना।

नीरज कुमारी

6. नाम व पते फाउण्डर ट्रस्टी एवं कमेटी :–

क	फाउण्डर ट्रस्टी एवं कमेटी	पदनाम
1	श्रीमती नीरज कुमारी पत्नी विजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादँपुर जनपद बिजनौर	प्रबन्धक /अध्यक्ष
2	विजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री पतराम सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादँपुर जनपद बिजनौर	सचिव
3	श्री जुगेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र पतराम सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादँपुर जनपद बिजनौर	उपाध्यक्ष
4	श्री कोमल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम खेडका डा0 कोराल जिला अमरोहा।	कोषाअध्यक्ष
5	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी ग्राम खेडका पो0 कौराल जिला अमरोहा	सदस्य
6	श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासो ग्राम खेडका पो0 कौराल जिला अमरोहा	सदस्य
7	श्री शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी मुरादाबाद	सदस्य
8	श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह निवासी रूडकी	सदस्य
9	श्रीमति मंजू यादव पत्नी श्री सुधीर निवासी मुरादाबाद	सदस्य
10	श्रीमति निर्वेश कुमारी पत्नी श्री राहुल कुमार निवासी ग्राम टन्डेरा पो0 हसुपुरा तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।	सदस्य
11	श्रीमति सुधा यादव पत्नी श्री शैलेन्द्र यादव निवासी गुरादाबाद	सदस्य
12	श्रीमति सरोज यादव पत्नी श्री जसवन्त सिंह निवासी रूडकी	सदस्य
13	श्रीमति विभा यादव पत्नी जुगेन्द्रप्रताप सिंह निवासी गावं सैदपुर माफी पोस्ट नंगली पथवारी त0 चादँपुर जनपद बिजनौर	सदस्य

फाउन्डर ट्रस्टी में से किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी की मृत्यु की वजह से या इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई जगह पर फाउन्डर ट्रस्टी के ही परिवार से किसी पढ़े–लिखे व्यवित/महिला जो फाउन्डर ट्रस्टी का उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस हो या जिसे फाउन्डर ट्रस्टी नामित करे उसी को ही लिया जायेगा। फाउन्डर ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या नामित को वहीं अधिकार प्राप्त होंगे जो फाउन्डर ट्रस्टी प्राप्त है। पीढ़ी–दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक यह ट्रस्ट कायम रहेगी। किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी को कभी भी ट्रस्ट से निष्कासित नहीं किया जा सकता है और न ही कभी निकाला जा सकता है परन्तु अगर कोई फाउन्डर ट्रस्टी अपनी मर्जी से ट्रस्ट से इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है। यदि भविष्य में कोई भी व्यवित ट्रस्टी बनना चाहता है तो वह लिखित आवेदन गय सदस्यता शुल्क के फाउन्डर ट्रस्टी के अध्यक्ष के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं अध्यक्ष सभी फाउन्डर ट्रस्टी की लिखित स्वीकृति लेकर उनका आवेदन स्वीकार कर सकता हैं तो वह व्यवित ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है।

7. ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की योग्यतायें :–

1. भारतवर्ष का नागरिक हो तथा ट्रस्टियों के परिवार से हो एवं वह पागल या दिवालिया न हो।
2. उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

नीरज कुमारी

[illegible]

3. ट्रस्ट के प्रति आस्था रखता हो।
4. नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा किया हो।

8. ट्रस्ट के सदस्य एवं उनके वर्ग – ट्रस्ट में चार प्रकार के सदस्य होंगे :–

1. **फाउण्डर सदस्य** – वह व्यक्ति जिन्होंने ट्रस्ट निर्माण के समय अपना बहुमूल्य समय देकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु अपना शारीरिक मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सहयोग प्रदान कर संस्था को स्थापित करने में अपना पूरा योगदान दिया हो तथा नकद रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) दान दिये हो वह जीवनपर्यन्त फाउण्डर सदस्य बने रहेंगे।

2. **आजीवन सदस्य** – वह व्यक्ति जो ट्रस्ट के प्रति आस्था रखते हुए 5,000/– (पाँच हजार एक सौ रूपये मात्र) दान स्वरूप देंगे वह संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

3. **विशिष्ट सदस्य** – वह व्यक्ति जो समाज का सम्मानित व्यक्ति हो एवं कला, समाज सेवा, संस्कृति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रखता हो एवं ट्रस्ट के कर्तव्यों के प्रति आस्था रखता हो वह ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के दो–तिहाई बहुमत द्वारा ट्रस्ट का विशिष्ट सदस्य मनोनीत किया जायेगा।

4. **साधारण सदस्य** – वह व्यक्ति जो संस्था के प्रति आस्था रखते हुए 2,100/– (इक्कीस सौ रूपये मात्र) वार्षिक दान स्वरूप देगा वह ट्रस्ट का साधारण सदस्य कहलायेगा।

9. प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. प्रबन्धक ट्रस्ट का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा।
2. ट्रस्टियों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावो एवं नीतियों को क्रियान्वित करना।
3. ट्रस्ट की समस्त संचालित विभिन्न इकाईयों के पदाधिकारियों एवं उसमें कार्यरत विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं का चयन करना।
4. वार्षिक बजट को कार्यकारिणी द्वारा पास कराना।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों/सभाओं/जनसभाओं को क्रियान्वित करने की अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना।
6. ट्रस्ट की विभिन्न इकाईयों को स्थापित कराने के लिए उच्च सभा तथा कार्यकारिणी सभा की स्वीकृति के उपरान्त अपनी अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना।
7. ट्रस्ट की इकाईयों द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना।
8. उच्च सभा द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत विभिन्न कार्य योजनाओं में होने वाले वित्तीय कार्यों के प्रस्ताव को अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना।
9. ट्रस्ट के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, वेतनवृद्धि, निलंबन, बहारी आदि के लिए निर्णय लेना।
10. ट्रस्ट के विकास के लिए बनाई गयी उपसमितियो पर नियंत्रण करना।
11. ट्रस्ट के हिसाब–किताब सम्बन्धी समस्त कागजातों को तैयार करवाना व सुरक्षित रखवाना तथा संस्था द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करना।
12. ट्रस्ट के बाहर जाने वाले कागजातों को प्रमाणित करना तथा संस्था की ओर से अनुबन्धों तथा अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
13. ट्रस्ट की चल तथा अचल पूंजी के समस्त बहुमूल्य कागजातों को उच्च सभा की सहमति के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वीकृति नियमों के अधीन सुरक्षित रखना।

नीरज कुमारी

14. ट्रस्ट के हितार्थ सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/ग्रामोद्योग आयोग, देशी तथा विदेशी जन कल्याणकारी संस्थाओं से सहायता व अनुदान/ऋण प्राप्त करने हेतु उच्च सभा की स्वीकृति के साथ पत्र व्यवहार करना।
15. जन सामान्य, समाजसेवियों तथा किसी व्यक्ति विशेष से संस्था के हितार्थ अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करना।
16. संस्था के बैंक खाते का संचालन करना।

10. ट्रस्ट के अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :–

1. ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट की बैठकों को बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
4. ट्रस्ट के लिये चल–अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट से सम्बन्धित संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना तथा उनसे पत्र व्यवहार करना।
6. ट्रस्ट के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।
7. संस्था के लिए दान–अनुदान, चन्दे–उपहार, वित्तीय सहायतायें, ऋण आदि को प्राप्त करना तथा उसकी पावती रसीदे देना, संस्था के बैंक खाते का संचालन करना।

11. कोषाध्यक्ष :–

1. ट्रस्ट की निधियों एवं सम्पत्तियों के लेख तैयार करना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. ट्रस्ट के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।
संस्था के बैंक खाते का संचालन करना।

12. उपसमितियों का गठन – इसके अतिरिक्त फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्ट का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय/महाविद्यालय एवं मदरसा संचालन के लिए कमेटियों का गठन करेगी। उक्त कमेटियों का गठन एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा ट्रस्ट के मुताबिक/ ट्रस्ट की मंशा के मुताबिक कार्य न करने की दशा में ट्रस्ट के फाउन्डर ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि उक्त कमेटी को कभी भी निरस्त/भंग कर सकते हैं। उक्त कमेटियों को एक वर्ष उपरान्त पुनः पुरानी कमेटी या कुछ परिवर्तन के साथ संशोधित कमेटी या बिल्कुल नयी कमेटी का गठन फाउन्डर ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा। फाउन्डर ट्रस्टीज यदि एकमत हो तो स्थानीय कमेटी मे फेरबदल कभी भी किया जा सकता है। ट्रस्ट अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों, कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए उपसमिति का गठन कर सकती है।

13. ट्रस्ट की सम्पत्ति – ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक जायदाद खरीदने व गैर जरूरी जायदाद बेचने का अधिकार फाडन्डर ट्रस्टियों को होगा। ट्रस्ट की जायदाद की हिफाजत करना उस पर निर्माण करना, मरम्मत करने की पूरी जिम्मेदारी फाउन्डर ट्रस्टियों की होगी। ट्रस्ट अपनी जायदाद/ भवन इत्यादि को किसी अन्य संस्था को किराये पर दे सकती हे जिसमें फाउन्डर ट्रस्टीज का एकमत होना आवश्यक है। प्राप्त किराये को हर सूरते हाल में ट्रस्ट के कार्यो में लगाया जायेगा।

नीरज कुमारी

14. **ट्रस्ट के लिए पैसे का इन्तजाम** – ट्रस्ट का हर ट्रस्टी आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वेच्छा से ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार हस्बे हैसियत आर्थिक मदद करेगा। ट्रस्ट के लिए पैसे का इंतजाम निजी स्रोतो दान–अनुदान, चन्दे, जकात, फितरा, आदि से किया जायेगा। इसके अलावा ट्रस्ट की आर्थिक जरूरतो को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको, निजी बैंक व अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों से कर्ज भी लिया जा सकेगा। जिसकी अदायगी की जिम्मेदारी सभी फाउन्डर ट्रस्टीज की होगी।

15. **ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम 1961 व धारा 80-G विशेष प्रावधान** – यह विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित नियम व शर्ते इस ट्रस्ट डीड का मुख्य भाग है। यह कि ट्रस्ट को होने वाले लाभ को और ट्रस्ट के फण्ड का उपयोग केवल उन्ही सीमाओ एवं प्रतिबन्धों तक किया जायेगा जो आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ टैक्स अधिनियम 1957 या कोई अन्य अधिनियम जिस पर आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हो किया जायेगा। यदि उक्त आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ टैक्स अधिनियम 1957 मे कोई संशोधन होता है या भविष्य में कोई अधिनियम आता है तो उसके नियम व शर्ते ट्रस्ट पर लागू होंगे। यह कि इस ट्रस्ट पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी या अन्य कोई समान नियम जो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आते हैं लागू होंगे।

16. **ट्रस्ट की मीटिंग** – ट्रस्ट की मीटिंग प्रतिवर्ष ट्रस्ट के कार्यालय में की जायेगी जिसकी तारीख की सूचना सभी ट्रस्टियों को दी जायेगी। आवश्यक बैठकें कभी भी की जा सकती हैं।

17. **ट्रस्ट का बैंक खाता** – ट्रस्ट के धन को किसी राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक अथवा डाकघर में ट्रस्ट के नाम से खाता खुलवाया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष में से किसी किन्हीं दो लोगो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

18. **ट्रस्ट की जायदाद की बिक्री** – कोई जायदाद जो ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाये व जायदाद यदि भविष्य में ट्रस्ट के इस्तेमाल की न रहे या ट्रस्ट के इस्तेमाल के लिए छोटी पड़ जाये या ट्रस्ट के द्वारा किये जा रहे काम के लिए अन्य किसी जगह ट्रस्ट के कार्यालय या इंस्टीट्यूशन को बदलना जरूरी है तो ट्रस्ट के अध्यक्ष को फाउन्डर ट्रस्टियों की सहमति से ट्रस्ट की जायदाद को बेचने का होगा लेकिन जायदाद बेचकर हासिल धनराशि हर सूरते हाल में ट्रस्ट के लिए जायदाद खरीदने या ट्रस्ट के किसी अन्य मकसद मे खर्च करना होगा। अपने इस्तेमाल मे लाने का अध्यक्ष या ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट के विघटन की स्थिति आती है तो ट्रस्ट की तमाम सम्पत्ति किसी अन्य सामाजिक हित में कार्यरत ट्रस्ट अथवा समिति में विलय कर दी जायेगी।

19. **ट्रस्ट का विघटन** – ट्रस्ट का विघटन ट्रस्ट एक्ट की सुसंगत धाराओं के अधीन ट्रस्ट के सेटलर की मंशा से किया जायेगा।

नीरज कुमारी

आवेदन सं०: 202300716010877

न्यास पत्र

वही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 52 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 100000 स्टाम्प शुल्क- 1650 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 1100

श्रीमती श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा
नीरज कुमारी बहे० प्रबन्धक अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पत्नी श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नि०ग्रा० सैदपुर माफी पर० बूढ़पुर नीरज कुमारी

श्रीमती, श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा

नीरज कुमारी बहे० प्रबन्धक अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 14/07/2023 एवं 01:45:36 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक :चांदपुर
बिजनौर
14/07/2023

नवनीत कुमार माहेश्वरी
निबंधक लिपिक
14/07/2023

प्रिंट करें

20. अन्य विविध :–

1. यह कि शिक्षण संस्थायें जो भी इस ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जायेंगी उन संस्थाओं की प्रबन्ध समिति जिनकी मॉनिटरिंग फाउन्डर ट्रस्टी करेंगे विधि विधान के अनुसार गठित की जायेंगी।
2. यह कि इस ट्रस्ट में सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य को ट्रस्ट के प्रबन्धन में अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में अथवा ट्रस्ट के कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अर्थात प्रबन्धिकीय कार्य कर शक्ति केवल फाउन्डर ट्रस्टी को ही प्राप्त होगी।
3. यह कि ट्रस्ट की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने का अधिकार फाउन्डर ट्रस्टी को होगा।
4. यह कि ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति अथवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं की मीटिंग में यदि किसी बात पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होगा तब अध्यक्ष का निर्णय सभी को मान्य होगा।
5. यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष को ट्रस्ट के प्रावधानों में तनगीम व तरसीख करने का हक होगा और मौजूदा ट्रस्ट डीड में कोई तरमीम करने कोई शर्त बढाने व घटाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को होगा।

नीरज कुमारी

आवेदन सं०: 202300716010877

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 52 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा नीरज कुमारी बहे० प्रबन्धक, पत्नी श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी: नि०ग्रा० सैदपुर माफी पर० बूढ़पुर

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2 नीरज कुमारी

श्री श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा विजेन्द्र प्रताप सिंह बहे० सचिव, पुत्र श्री ,पतराम सिंह

निवासी: नि०ग्रा० सैदपुर माफी पर० बूढ़पुर

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 3

श्री श्यामकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जुगेन्द्रप्रताप सिंह बहे० उपाध्यक्ष, पुत्र श्री पतराम सिंह

निवासी: नि०ग्रा० सैदपुर माफी पर० बूढ़पुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री पीतम सिंह, पुत्र श्री लल्तराम

निवासी: नि०ग्रा० चेलापुर पर० बूढ़पुर

व्यवसाय: अन्य पीतम सिंह

पहचानकर्ता : 2

श्री जितेन्द्र, पुत्र श्री हेतराम सिंह

निवासी: नि०ग्रा० शाहपुर पो० शाहपुर खेडी हसुपुरा हरकिशनपुर जिला बिजनौर

व्यवसाय: अन्य जितेन्द्र शर्मा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक : चांदपुर
बिजनौर
14/07/2023

नवनीत कुमार माहेश्वरी
निबंधक लिपिक बिजनौर
14/07/2023

E-Stamp No. 1– IN-UP59227325856904V

इस वास्ते यह <u>ट्रस्ट डीड / न्यास पत्र</u> की घोषणा आज दिनांक **14-07-2023** को न्यासी / गण एंव गवाहान की उपस्थिति में उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त काम आवे।

ह० न्यासी/ (गण)

नीरज कुमारी Bijnor

गवाह 1 पीतम सिंह	गवाह 2 जितेन्द्र शर्मा
पीतम सिंह पुत्र बल्लराम निवासी ग्राम चेलापुर पो० बुढ़पुर तह० चान्दपुर जिला बिजनौर	जितेन्द्र पुत्र हेतराम सिंह नि० शाहपुर पो० बुढ़पुर जिला बिजनौर
मोबाईल नं०- 9720910814	मोबाईल नं०- 9720910814

सोमपाल सिंह आर्य (एडवोकेट)
तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर

Sompal Singh Arya
Advocate
R. No. 7111/07 C.O.P. No. 044551
Tehsil Chandpur (Bijnor)
Mobile No. 9412669334

आवेदन सं०: 202300716010877

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 33 के पृष्ठ 161 से 194 तक क्रमांक 52 पर दिनाँक 14/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनूप कुमार सिन्हा
उप निबंधक : चांदपुर
बिजनौर
14/07/2023